कृषि विकास के क्षेत्र में बिहार के कृषि रोड मैप की भूमिका : विश्लेषणात्मक अध्ययन

ज्योतिष कुमार चंद्रवंशी
पी.–एच.डी. शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
ई–मेल – jyotishk077@gmail.com

सारांश

कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि तमाम औद्योगिक विकास के बावजूद आज भी बिहार की लगभग 80% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर निर्भर करती है। बिहार कृषि विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन एवं उपजाऊ मिट्टी से परिपूर्ण रहने के बावजूद गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है, क्योंकि राज्य में कृषि क्षेत्र का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि क्षेत्र का योगदान असंतोषजनक है। बिहार में कृषि पर जनसंख्या का काफी दबाव है। प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार बाढ़ तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ जैसी समस्या से जूझ रहा है। कृषि में ही बिहार का विकास निहित है इसलिए बिहार सरकार इन सभी समस्याओं का समाधान करने एवं कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2008 से लगातार कृषि रोड़ मैप लागू कर रही है। हाल ही में दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु द्वारा बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023 – 2028) का शुभारम्भ किया गया है। जिससे फसलों के विविधीकरण बेहतर सिचाई सुविधा, भूमि एवं जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं शोध को बढ़ावा देने आदि विषयों पर बल दिया जायेगा ताकि कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित इस शोध पत्र में कृषि रोड मैप के उद्देश्यों, उपलब्धियों और चुनौतियों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द

लोक संस्कृति, कृषि उत्पादकता, समावेशी विकास, पलायन, डीजल अनुदान, विविधीकरण

प्रस्तावना

कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कृषि समावेशी विकास का समर्थन करती है एवं बेरोजगारी को दूर करती है। साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन करके गरीबी उन्मूलन में अहम भूमिका निभाती है। बिहार की कुल जनसंख्या का 88.7% जनसंख्या गॉव में निवास करती है, जो पूरी तरह से कृषि एवं इसके सहवर्ती क्षेत्र पर निर्भर है। इससे प्रमाणित होता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। मनुष्यों के साथ–साथ पशुओं का भोजन भी कृषि पर ही निर्भर है। बिहार की कृषि न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने में भूमिका का निर्वहन करती है बल्कि राज्य सरकार के लिए आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत भी हैं। कृषि राज्य के बड़ी आबादी को लिए भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने के साथ–साथ उद्योग के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती

है, जिससे राज्य के प्रमुख निर्माण उद्योग को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कृषि और उद्योग प्रगति के दो पहिए होते है, जो एक दूसरे को बल देते हैं, परन्तु बिहार के दक्षिणी भू–भाग के 46% हिस्सा जो खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र से परिपूर्ण था उस हिस्से को काट कर 15 नवम्बर 2000 ई0 को झारखण्ड राज्य बना दिया गया। इस तरह बिहार का एक पहिया अलग हो जाने की वजह से बिहार सरकार को कृषि पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना पड़ा ताकि औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए पर्याप्त अधिशेष पैदा किया जा सके। धरातल मिट्टी एवं जलवायू तथा अन्य भौतिक एवं आर्थिक दशायें बिहार के कृषि को प्रभावित करती है। विभाजन के बाद से बिहार सरकार लगातार किसानों को समर्थन एवं कृषि के विकास के लिए कार्य कर रही है और उनके लिए कृषि नीति एवं कृषि रोड मैप के माध्यम से योजनाओं को तैयार कर लागू कर रही है।

साहित्य समीक्षा

दिपक कुमार राणा (2023) में अपना आलेख ''बिहार के आर्थिक विकास में कृषि रोड मैप की भूमिका : एक अध्ययन'', गरिमा नैन (2020) ने अपना आलेख ''Bihar Krishi Road Map'' एवं चन्दन कुमार ने अपना आलेख ''बिहार में वर्त्तमान कृषि नीति – चुनौतियॉ एवं सम्भावनाऐं'' में बिहार में 2008 से चल रहे कृषि रोड मैप के उद्देश्यों का अध्ययन किया है एवं बिहार सरकार द्वारा चलाये जा रहे कृषि संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की चर्चा की है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बिहार में कृषि के महत्व का अध्ययन।
2. कृषि रोड मैप के योगदानों का अध्ययन।
3. चतुर्थ कृषि रोड मैप के संभावनाओं का अध्ययन।

परिकल्पना

1. कृषि रोड मैप लागू होने से किसानों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढी है।
2. सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहूॅच रहा है।

अध्ययन क्षेत्र

बिहार का कृषि एवं जलवायु क्षेत्र।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए आकड़ों का संकलन द्वितीयक स्त्रोत से लिया गया है। कृषि संबंधित ऑकड़े विभिन्न पुस्तक एवं शोध आलेखों से प्राप्त किये गये हैं।

बिहार में कृषि जोतो का औसत आकार

बिहार का कुल भौगौलिक क्षेत्रफल लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें केवल 56.03 लाख हेक्टेयर शुद्ध कृषि योग्य है और सकल कृषि क्षेत्र 79.46 लाख हेक्टेयर है। बिहार में जोतो का औसत आकार 0.75 हेक्टेयर है जो राष्ट्रीय औसत 1.57 हेक्टेयर से काफी कम है। जोतो की असमानता और जमीन के टुकड़ों में बँटा होना बिहार के कृषि विकास की राह में गम्भीर बाधा है। बिहार के लगभग 91.2 प्रतिशत कृषक परिवार छोटे एवं मझोले (एक हेक्टेयर से कम जोत वाले) किसान हैं, जिनके पास कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 57.7 प्रतिशत हिस्सा है जो कृषि के लाभप्रद और आधुनिक प्रौधोगिकी अपनाने में चिंता की बात है। यही नही राज्य का जनसंख्या धनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर है जबकी राष्ट्रीय स्तर 382 का है। फलतः राज्य की कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव है।

बिहार की कृषि जलवायु

बिहार की जलवायु मुख्यतः उप्पोषण है, जिसमें गर्मी के मौसम में मार्च से मई के दौरान सर्वोच्च तापमान 40^0 सेल्सियस के आस–पास पहुँच जाता है। जबकी जाड़े के मौसम दिसम्बर से जनवरी में औसत तापमान 8^0 सेल्सियस तक आ जाता है। 94.2 हजार वर्ग किलोमीटर भौगौलिक क्षेत्रफल वाले बिहार को गंगा नदी दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर बिहार 53.3 हजार वर्ग किलोमीटर एवं दक्षिण बिहार 40.9 हजार वर्ग किलोमीटर है। बिहार का उत्तर पश्चिम भाग पहाड़ी तथा दक्षिण बिहार का कैमूर पठार, गया, राजगीर तथा बिखरी पहाड़ियों के समिपवर्ती भागों को छोड़ कर शेष भाग समतल है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं इलाके के आधार पर बिहार को स्पष्ट रूप से तीन महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है।

1. उत्तर पश्चिम क्षेत्र – इस क्षेत्र के अन्तर्गत 13 जिले आते हैं। पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सितामढी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, बेगुसराय एवं वैशाली। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1440 मि.मि. से 1450 मि.मि. होती है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 36.6 से.मी. एवं न्यूनतम तापमान 7.7 से.मि. रहती है। इस क्षेत्र की मिट्टी बलूई दोमट एवं दोमट है।
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र – इस क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 8 जिले आते हैं। सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, खगडिया, मधेपुरा, किशनगंज तथा अररिया। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1200 मि.मि. से 1700 मि.मि. होती है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 33.8 से.मी. एवं न्यूनतम तापमान 8.8 से.मि. रहती है। इस क्षेत्र की मिट्टी बलूई दोमट एवं चिकनी दोमट है।
3. दक्षिणी क्षेत्र – इस क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक 17 जिले आते हैं। कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से दक्षिण क्षेत्र को दो भागों में बाँटा गया है – दक्षिण पूर्व क्षेत्र एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 6 जिले भागलपुर, शेखपुरा, लखिसराय, जमुई, मुंगेर एवं बांका तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में

11 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, अरवल, भोजपुर एवं पटना शामिल है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 900 मि0मि0 से 1200 मि0मि0 होती है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 37.1 से.मी. एवं न्यूनतम तापमान 7.8 से.मि. रहती है। इस क्षेत्र की मिट्टी बलूई दोमट, चिकनी दोमट, बलूई एवं दोमट है।

बिहार कृषि रोड मैप

देश की तुलना में बिहार की कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। देश में खेती की जानेवाली भूमि के रकबे में बिहार का हिस्सा 3.8 प्रतिशत है जबकि देश की आबादी में बिहार का हिस्सा 8.6 प्रतिशत है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। राज्य में कृषि के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन तथा उपजाऊ मिट्टी, जल एवं कृषि जलवायवीय परिस्थितियॉ उपलब्ध हैं। राज्य में फसल सहित बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, मछली उत्पादन आदि की प्रति इकाई उत्पादकता वैज्ञानिक परिक्षणों में प्राप्त उत्पादकता की तुलना में काफी कम हैं। इस पृष्ट भूमि में राज्य सरकार द्वारा कृषि के त्वरित विकास के लिए विभाजन के बाद से लगातार कृषि योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से अनेक कदम उठाये गये हैं। बिहार सरकार द्वारा 2008 में नई कृषि नीति बनाई गई जिसे ''कृषि रोड मैप'' कहा गया। अब तक तीन कृषि रोड मैप पूर्ण हो चुके है और इसी वर्ष चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरूआत हुई है जो 2028 तक चलेगी। इस कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

कृषि रोड़ मैप –1 (2008–2012) :– वर्ष 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम बिहार दौरे पर आये थे। उन्होंने बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। उस संबोधन में उनके द्वारा बिहार को विकसित राज्य में शामिल करने के लिए कई सुझाव दिया गया था, जिसमें कृषि संबंधित सुझाव अधिक था। उनके द्वारा दिये गये सुझावों में पानी का बेहतर उपलब्धता, उर्वर भूमि एवं मेहनती लोगों का बेहतर प्रबंधन, दुग्ध उत्पादन एवं सहकारिता आदि प्रमुख था। इन्ही सुझावों को ध्यान में रख कर बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008 में पहला कृषि रोड मैप शुरू किया गया था। इसकी अवधि 31 मार्च 2012 तक थी। प्रथम कृषि रोड मैप इन्द्रधनुष क्रांति में

भाग लेने के लिए लागू किया गया था। इसमें कृषि बागवानी, वानिकी, ईख, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और सहकारिता आदि को बढावा देने से संबंधित कार्यक्रम मुख्यरूप से शामिल किये गये थे। इससे किसानों को काफी फायदा हुआ था। इस अवधि में धान, गेहुँ, मक्का और आलू आदि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई थी। बिहार को उत्कृष्ट चावल उत्पादन के लिए 2012 में कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2011–12 में नालंदा के एक किसान ने प्रति हेक्टेयर धान का सबसे ज्यादा उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले प्रति हेक्टेयर धान का अधिक उत्पादन चीन के पास था। इस कृषि रोड मैप के तहत बीज ग्राम योजना और मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा।

कृषि रोड़ मैप –2 (2012–2017) :– दूसरा कृषि रोड मैप का शुभारम्भ वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के द्वारा किया गया था। यह पहले कृषि रोड मैप की तुलना में काफी व्यापक था एवं प्रथम कृषि रोड मैप में कई संशोधन कर इसे तैयार किया गया था। बिहार सरकार ने कृषि से जुडे 18 विभागों – कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, लघु जल संसाधन, शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा, वित्त, उद्योग, गन्ना उद्योग, योजना एवं विकास, ग्रामीण कार्य, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्व एवं भूमि सुधार, पंचायती राज, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास एवं आपदा प्रबंधन विभाग आदि को साथ लेकर एक मंत्रीमण्डलीय समिति का गठन किया जिसे ''कृषि मंत्रीमण्डल'' नाम दिया गया था। कृषि रोड मैप–2 का छः सूत्री ध्येय खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, किसानों के आय में वृद्धि, रोजगार सृजन एवं श्रमिकों के पलायन पर नियंत्रण, कृषि विकास का समावेशी मानवीय आधार और महिलाओं की सघन भागीदारी तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ उपभोग आदि था। इसके अतिरिक्त कई रणनीतियॉ भी शामिल की गई थी। इस अवधि में राज्य में अनाजों का कुल उत्पादन 2011–12 के 173.64 लाख टन से बढ़ कर 2016–17 में 180.99 लाख टन हो गया। कुल मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन 27.9 प्रतिशत की प्रचुर वृद्धि दर्ज करते हुए 2015–16 के 145.08 लाख टन से बढकर 2016–17 में 185.61 लाख टन हो गया। खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन बिहार की खाद्य सुरक्षा के लिहाज से दूसरी कृषि रोड मैप की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

कृषि रोड मैप–3 (2017–22) :– बिहार में इन्द्रधनुषी क्रांति का विकास तथा कृषि एवं किसानों के विकास के लिए 09 नवम्बर 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा तृतीय कृषि रोड मैप की शुरूआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के आय को बढ़ाना, पलायन रोकना, पर्यावरण की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैविक कृषि को बढावा, सौर ऊर्जा, सिंचाई एवं बिजली का पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति आदि था। तीसरे कृषि रोड मैप में सरकार ने मुख्य रूप से सात लक्ष्य – जैविक कृषि के जरिये किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, प्रत्येक भारतीय के थाली में एक बिहारी व्यंजन, खाद्य सुरक्षा, नयी तकनीक के जरिये पोषणवाली पैदावार, लागत कम उपलब्धि ज्यादा के साथ कृषि बाजार का विकास, रसायनिक खाद्य के बदले वर्मी कम्पोष्ट के लिए

प्रोत्साहन एवं मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के जरिये किसानों का सेहत जॉच तथा मछली एवं पशुपालन के जरिये किसानों का समावेशी विकास आदि था। इस अवधि में मछली उत्पादन 2.5 गुना बढ गया। अब बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। चावल, गेहुँ, मक्का के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। आलू, गोभी, टमाटर और बैगन के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। साथ ही मखाना उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इस रोड मैप में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम – अधिक उपज देने वाले प्रभेदों एवं संकर प्रभेदों को बढ़ावा, 13 जिलों में एक जैविक पट्टी एवं 158 उत्पादक संगठन का गठन, राज्य के 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन एवं 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के उद्देश्य से 3 नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना, फसल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष कस्टम हायरिंग, डिजिटल कृषि को बढावा एवं डी.बी. टी. पोर्टल पर 1.90 करोड से अधिक किसानों का निबंधन, कृषि प्रसार का सुदृढीकरण एवं कृषि विपणन का विकास, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम एवं पैक्स समितियों का आधुनिकीकरण आदि की शुरूआत की गई थी।

कृषि रोड मैप–4 (2023–28) :– तीसरे कृषि रोड मैप के तहत 2017 से 2022 तक काम निर्धारित था लेकिन इसे बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया था। बचे हुए कार्य एवं और आगे के कार्य एवं विस्तार के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु द्वारा 18 अक्टुबर 2023 को पटना के बापू सभागार में रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण कर चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरूआत की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा की मुझे यह जानकर खुशी है कि बिहार सरकार 2008 से कृषि रोड मैप लागु कर रही है। उन्होंने कहा की पिछले तीन कृषि रोड मैप लागू होने का ही परिणाम है कि राज्य में धान, गेहुँ और मक्का की उत्पादकता बढ कर लगभग दोगुनी हो गई है। मशरूम, शहद, मखाना और मछली के उत्पादन में भी बिहार अन्य राज्यों से काफी आगे हो गया है। उन्होंने कहा की चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारम्भ वह महत्पूर्ण कदम है जिससे इस प्रयास को आगे बढाने में मदद मिलेगी। चतुर्थ कृषि रोड मैप में 12 अन्य विभागों – कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, लघु जल संसाधन, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा, उद्योग, गन्ना उद्योग, ग्रामीण कार्य, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्व एवं भूमि सुधार, जल संसाधन विभाग आदि को भी शामिल किया गया है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए है। इसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मंत्रीमण्डल द्वारा लगभग 162000 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास के तहत गैर रैयत के साथ रैयत एवं महिला किसानों को बढ़ावा, कृषि उत्पादन के दौरान एवं उत्पादन के पश्चात् क्षति को कम करना, टाल एवं दियारा तथा चौर के विकास एवं आधारभूत संरचना में व्यापक निवेश जैसे आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को ध्यान में रखकर और बहुत व्यापक बनाया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में लागू होने वाली योजनाएँ एवं नीतियॉ निम्न हैः–

1. खेती के साथ साथ पशुओं के देख–भाल के लिए हर 08 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल खोले जाएगें।
2. कृषि को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए 100 से अधिक सीड हब खोले जायेंगे।
3. मिलेट फसलों को बढ़ावा देने हेतु बिहार मिलेट मिशन की घोषण की गई है।
4. गैर–कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती की जायेगी।
5. दलहन एवं तिलहन तथा पोषक अनाज को बढावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
6. किसानों को खेती हेतु सस्ती दर पर बिजली कनेक्शन प्रदान किया जायेगा।
7. जलवायु अनुकूल कृषि को बढावा दिया जायेगा।
8. कृषि क्षेत्र में शोध एवं शिक्षा के लिए नये महाविद्यालयों की स्थापना किया जायेगा।
9. दुग्ध उत्पादन बढाने हेतु नये डेयरी संयंत्रों की स्थापना की जायेगी।
10. तलाब एवं चेक डैम बनाकर सभी खेतो तक पानी पहुॅचाया जायेगा।
11. जीविका दिदियों के सहयोग से टिशु कल्चर आधारित पौधशाला स्थापित किये जायेंगे।

बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार

कृषि क्षेत्र के सर्वागीण विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप बिहार को भारत सरकार द्वारा कुल पाँच कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है जो निम्न हैः–

वर्ष 2011–12	चावल के लिए
वर्ष 2012–13	गेहुॅ के लिए
वर्ष 2015–16	मक्का (मोटे अनाज) के लिए
वर्ष 2016–17	मक्का (मोटे अनाज) के लिए
वर्ष 2017–18	गेहुॅ उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए

स्त्रोतः– कृषि विभाग, बिहार सरकार

बिहार में कृषि के समक्ष चुनौतियॉ

सरकार द्वारा निरंतर कृषि बजट में वृद्धि करने तथा कृषि विकास संबंधी रणनीतियॉ एवं योजनाएॅ लागू करने के बाद भी बिहार के कृषि क्षेत्र में ज्यादात्तर चुनौतियॉ विद्यमान है। बिहार के भिन्न–भिन्न भागों में कृषि परिस्थितियों तथा तरीकों में घोर विभिन्नता पायी जाती है। इसलिए बिहार में कोई योजना समरूपता से तैयार नहीं की जा सकती है। प्रत्येक साल उत्तरी बिहार में बाढ़ तो दक्षिण बिहार में सुखा से कृषि प्रभावित होती है। बिहार राज्य के कृषि योग्य भूमि तेजी से बंजर होती जा रही है। अब तक 431.72 हेक्टेयर (4.61 प्रतिशत) भूमि बंजर हो चुकी है। उतरी बिहार में स्थिति भयावह है जहॉ तेजी से भूमि क्षारीय होती जा रही है एवं पेड़ सुख रहे हैं। सिंचाई की सुविधा भी मात्र 71.03 लाख हेक्टेयर (लगभग 62 प्रतिशत) हैं। बिहार में कृषि के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियों में अन्य राज्यों की तुलना में यहॉ प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, अत्यधिक जनसंख्या का दबाव, उत्पादन संबंधित सुविधाएॅ –

सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक, किटनाशक आदि का अभाव, बाजार जनहित समस्याओं के अलावा भण्डारण एवं परिवहन की समस्या, जोतो का छोटा आकार एवं भूमि का दोषपूर्ण व्यवस्था, पुरानी तकनीक का प्रयोग, निम्न यंत्रीकरण, वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता, स्वयं के लिए खेती एवं अशिक्षा, आधुनिक कृषि विशेषज्ञ सेवा का अभाव, कृषि क्षेत्र में शोध एवं शिक्षा का अभाव आदि है। प्रतिकूल जलवायु की स्थिति और बाढ़ जैसी समस्याएँ उत्पादन एवं उत्पादकता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, चेक डैम एवं जल निकासी योजनाओं के माध्यम से कुछ हद कर दूर किया जा सकता है। कृषि उत्पादन को फसल पैटर्न में परिवर्तन, खेती में नवीनतम तकनीक एवं बेहतर फसल प्रौधोगिकी की उपलब्धता के साथ काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। बिहार में कृषि विकास के मामले में अपर्याप्त सिंचाई सुविधा बहुत ही बाधक तत्व है। बहुत कम किसान डीजल अनुदान एवं फसल बीमा का लाभ उठा पा रहे है। किसानों को समय पर अनुदान की राशि नहीं मिलती है। अधिकत्तर किसान अशिक्षित है, जिससे वे योजनाओं के बारे में सही से नहीं जान पाते है। कई योजनाओं में कागजी समस्याएँ – आधार कार्ड, लगान एवं एल. पी.सी. आदि में गलती के चलते किसानों को लाभ से वंचित होना पड़ता है। किसान सलाहकारों की पहुँच गॉव एवं किसानों तक बहुत ही कम है। उनके पास एक से अधिक पंचायत का प्रभार है। जिससे वे किसानों को बहुत ही कम सुझाव देते है। कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार भी एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है जो योजनाएँ लघु एवं सीमान्त किसानों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उसका लाभ बड़े एवं अमीर किसान रिश्वत देकर या पैरवी के बल पर ले लेते है। बिहार में अधिकत्तर किसान जीवन निर्वाह खेती करते है एवं छोटे एवं सीमान्त श्रेणी के हैं। वे आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे उत्पादन कम होता है। किसानों को सहायता प्रदान करने एवं उनसे संवाद स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किसान कॉल सेन्टर 1800–180–1551 जारी किया गया है, परन्तु किसानों को इसके माध्यम से कृषि योजनाओं की जानकारी, मौसम की जानकारी एवं अन्य कृषि संबंधी जानकारी उचित तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि आजीविका प्रदान करने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ गरीबी, नक्सलवाद एवं पलायन को कम करके राज्य के सत्तत विकास को बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2021–22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 21.1 प्रतिशत का योगदान है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ राज्य के सकल घरेलू अनुपात में कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जा रहा है, परन्तु कृषि पर आश्रित जनसंख्या का उसी अनुपात में कमी नहीं हो रही है जो बिहार के समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। ग्रामीण विकास के लिए कृषि का विकास आवश्यक होता है क्योंकि कृषि से जितना अधिक आय उत्पन्न होगी ग्रामीण क्षेत्र में उतना ही रोजगार उत्पन्न होगा। इससे ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त गरीबी को दूर कर आय

बढ़ाने में मदद मिलेगी और अन्ततः ग्रामीण क्षेत्र विकास की ओर उन्मुख होगा। 2018–19 की एन.एस. एस. के आंकड़ों के अनुसार बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहाँ ग्रामीण इलाकों के लोगो की आय सबसे कम है। कृषि क्षेत्र राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबी एवं कुपोषण में कमी लाने, एक बडे असंगठित क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध कराने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढावा देने तथा समावेशी विकास की संकल्पना को आगे बढाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए राज्य सरकार को राज्य में सिंचाई प्रौद्योगिकी, यंत्रीकरण लागत सामग्रियों की पूर्ति एवं अधिसंरचना विकास में निवेश के जरियें कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढानें हेतु अच्छा खासा वित्तीय संसाधन आवंटित किया जाना चाहिए। बिहार के औसत किसान इतना गरीब एवं ऋण के जाल में जकड़े हुए हैं की उनमें इतनी क्षमता भी नहीं होती कि वे अपने फसल के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए इंतजार कर सकें। जैसे ही फसल तैयार होती है उनके ऋणदात्ता, महाजन एवं साहूकार उन पर ऋण एवं ब्याज के भुगतान का इतना दबाव डालते हैं कि वे अपनी फसल के विपणन योग्य अतिरेक ग्रामीण साहूकारों एवं व्यापारियों के हाथों काफी कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पैक्स में भी अनाजों को बेचने के लिए सुविधा का अभाव है हालाकि सरकार निरंतर पैक्सों का आधुनिकी करण कर रही है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने, खाद्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने, लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने तथा प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 2008 से लगातार कृषि रोड मैप के माध्यम से अनेक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे किसानों के आय में वृद्धि के साथ–साथ उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि कृषि क्षेत्र में अभी भी अनेक चुनौतियॉ विद्यमान है। इससे उबरने एवं कृषि क्षेत्र के विकास तथा कृषि को भविष्य में लाभकारी व्यवसाय बनाने एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। जैसे– कृषि क्षेत्र में निवेश को बढावा देना, शोध को प्रयोग के साथ जोड़ना, फसल बीमा का विस्तार, भण्डारण एवं विपणन का उचित व्यवस्था, भूमि सुधारों का बेहत्तर कार्यान्वयन, सिंचाई सुविधा में व्यापक सुधार कार्यक्रम, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, रसायनिक एवं जैविक उर्वरको का उचित प्रयोग, साख एवं विपणन सुविधा को बढ़ावा, कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं यंत्रीकरण को बढ़ावा, कृषि क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था, पौधा संरक्षण एवं नर्सरी की व्यवस्था, कृषिगत एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढावा देना, अनुदान राशि को बढ़ाकर समय पर प्रदान करना, किसानों को प्रशिक्षित करना एवं उन्हें प्रेरणा देना, नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना एवं सीटों की संख्या को बढाना, कृषि से संबंधित गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन करना, कृषि भूमि पर से जनसंख्या के भार को कम करना, जलवायु अनुकूल एवं जैविक कृषि को बढावा देना आदि।

संदर्भ ग्रन्थ सूचि :–

1. भारत सरकार (2023), प्रेस विज्ञप्ति, PIB, राष्ट्रपति सचिवालय, 18 अक्टूबर 2023, नई दिल्ली।

2. बिहार सरकार (2023), कृषि रोड मैप (पुस्तिका) 2023–28, कृषि विभाग, पटना।
3. बिहार सरकार (2023), आर्थिक समीक्षा 2022–23, वित्त मंत्रालय, पटना।
4. राणा, दिपक कुमार (2023), बिहार के आर्थिक विकास में कृषि रोड मैप की भूमिका : एक अध्ययन, IJFMR Journal, मार्च–अप्रैल, 2023
5. कुमार, चन्दन (2023), बिहार में वर्त्तमान कृषि नीति–चुनौतियॉ एवं सम्भावनाएँ, BJPA Journal, जनवरी–जुन 2023
6. गरिमा नैन (2020), bihar krishi road map
7. ठाकुर, रजनीश कुमार (2019), बिहार की कृषि : समस्याएँ एवं समाधान, बिहार भूगोल, Geography4u.com/Agriculture-of-bihar-bpsc/amp/
8. भारत सरकार (2019), कृषि जनगणना 2015–16, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. बिहार सरकार (2017), कृषि रोड मैप (पुस्तिका) 2017–22, कृषि विभाग, पटना।
10. बिहार सरकार (2012), कृषि रोड मैप (पुस्तिका) 2012–17, कृषि विभाग, पटना।
11. भारत सरकार (2011), राष्ट्रीय जनगणना 2011, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
12- https://dbtagriculture.bihar.gov.in/
13- https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html